फर्द अहकाम

रामधन बनाम TDR वगै०

नाम न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या:- 84/2024

क्र.स.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	कि
	13/10/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप०। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 30/10/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी	
	30/10/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 31/10/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी	
	31/10/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उपस्थित। अप्रार्थी सं. 2 लगा. 10 व 14 लगा. 18 व 22 की सम्मन तामील होने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 19, 20, 21 का जवाब बन्द किया गया। आदेश सुनाया गया। प्रार्थी का प्रा.पत्र मुताबिक तहसीलदार फागी की रिपोर्ट स्वीकार किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार हो। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित किया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली दर्ज नं. से कम हो दाखिल दफ्तर रहे। उपखण्ड अधिकारी फा.	

[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा — 88 / 2024
निर्णय दिनांक — 23.10.2024
प्रस्तुतकर्ता — [illegible]

1. रामप्रसाद पुत्र कालू
2. रामू पुत्र कालू
3. रामकिशोर पुत्र कालू

समस्त जातियान अहिर (यादव) निवासीगण ग्राम कीरतपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
2. सन्तोष पुत्री जयराम जाति बैरवा ग्राम सांवल
3. राधा पत्नि जयराम जाति बैरवा ग्राम सांवल
4. योगेश पुत्र मोहनलाल नाबालिग संरक्षक माता नीलम जाति बैरवा निवासी सांवल
5. नीलम पत्नि मोहनलाल जाति बैरवा निवासी सांवल
6. नन्दकिशोर पुत्र जयराम जाति बैरवा निवासी सांवल
7. जगदीश पुत्र जयराम जाति बैरवा निवासी सांवल
8. कोमल पुत्री मोहनलाल जाति बैरवा निवासी सांवल नाबालिग जरिये संरक्षक माता नीलम
9. किशनलाल पुत्र जयराम जाति बैरवा निवासी सांवल
10. अमित पुत्र मोहनलाल नाबालिग माता नीलम बैरवा निवासी सांवल
11. नाथू बसोर पुत्र खिलई जाति बसोर म०नं० 359 ग्राम सद्दा तहसील गरोठा निवासी झासी (उत्तर प्रदेश)
12. विमला देवी पत्नि कैलाशचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम ठीकरिया तहसील सांगानेर।
13. शान्ति देवी पत्नि भवरलाल जाति ब्राहम्ण नि० ठीकरिया तहसील सांगानेर।
14. गलखू पुत्री लाला जाति बैरवा निवासी कीरतपुरा तहसील फागी
15. देशराज पुत्र लाला जाति बैरवा निवासी कीरतपुरा तहसील फागी
16. बाबूलाल पुत्र लाला जाति बैरवा निवासी कीरतपुरा तहसील फागी
17. रामराज पुत्र लाला जाति बैरवा निवासी कीरतपुरा तहसील फागी
18. राधाकिशन पुत्र उदाराम जाति रैगर निवासी रूपहेरी खुर्द विध बापूगांव जयपुर।
19. नवीन कुमार जैन पुत्र शान्ति लाल जैन जाति जैन
20. बसल कुमार जैन पुत्र शान्ति लाल जैन जाति जैन

निवासीयान सी–9 इन्द्रपुरी कॉलोनी लाल कोठी टोंक रोड जयपुर।

21. महादेव पुत्र गोपी जाति यादव निवासी मण्डोर तहसील फागी।
22. सुवालाल पुत्र गोपी जाति यादव निवासी मण्डोर तहसील फागी।
23. मुरली पुत्र नन्दा जाति बैरवा निवासी ग्राम कीरतपुरा तहसील फागी
24. कालू पुत्र नन्दा जाति बैरवा निवासी ग्राम कीरतपुरा तहसील फागी।

उपखण्ड अधिकारी
फागी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र तरमीम दुरुस्ती नक्शा ट्रेस
अन्तर्गत धारा 131, 111 राज०भू० राजस्व अधिनियम

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :— श्री रमेश चन्द शर्मा वकील प्रार्थीगण
श्री उदयसिंह चौधरी वकील अप्रार्थी सं. 21
श्री नेतराम जाट वकील अप्रार्थी सं. 19 व 20

निर्णय दिनांक :— 31.10.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की भूमि आराजी खसरा नम्बर 641/5 रकबा 3.7935 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम कीरतपुरा, पटवार हल्का रोटवाडा, भू०अभि०नि० क्षेत्र मण्डोर तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित है उक्त भूमि के पूर्व के खसरा नम्बर 5/4 है जिसका रकबा 15 बीघा है जिसके प्रार्थीगण बराबर हिस्से की भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर संलग्न नजरी नक्शे अनुसार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। सलग्न नजरी नक्शे को प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जाकर साथ पढ़ा जावें। राजस्थान सरकार की DILRMP योजना के तहत उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर की तरमीम करते समय सहवन से राजकर्मचारीयों द्वारा प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 641/5 रकबा 3.7935 हैक्टेयर भूमि की मौके व कब्जे के विपरीत जाकर गलत रूप से तरमीम कर दी गई क्योंकि उक्त खसरा नम्बर 641/5 के खातेदारों (प्रार्थीगण) का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 646/5, 644/5 के लगवा चर्तुभुज आकार में है तथा प्रार्थीगण के खेत के पास ही खसरा नम्बर 646/5 की भूमि है एवं प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 641/5 की पीछे उत्तर दिशा की तरफ खसरा नम्बर 644/5 की भूमि है एवं मौके पर इसी कब्जे अनुसार प्रार्थीगण व अन्य खातेदार अपने—अपने खसरा नम्बरान की भूमि पर काबिज काश्त रह कर अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। जबकि राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 641/5 की गलत तरमीम कर नक्शे में उक्त खसरा नम्बर को कीरतपुरा से हरवंशपुरा सीमा की तरफ लम्बी तरमीम कर दी है जबकि प्रार्थीगण का खेत चर्तुभुज आकार में है जिसके पीछे उत्तर दिशा की तरफ खसरा नम्बर 644/5 की भूमि है इस प्रकार राजस्व कारकानूनगों द्वारा मौका स्थिति व कब्जे के विपरीत जाकर नक्शें में गलत तरमीम कर दी गई जिससे काश्तकारों में विवाद हो रहा है जबकि प्रार्थीगण आज भी मौके पर खसरा नम्बर 646/5 के लगवा चर्तुभुज आकार में खसरा नम्बर 641/5 की भूमि पर अपने हिस्से अनुसार शांति पूर्वक काबिज काश्त है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 641/5 की गलत तरमीम को दुरूस्त करवाने बाबत् तहसीलदार महोदय फागी के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसमें तहसीलदार फागी ने उक्त गलत तरमीम को दुरुस्त करने से इंकार कर दिया व न्यायालय में चाराजोही करने के लिए कहा। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता कालू पुत्र लादू की कयशुदा भूमि है जिसके खसरा नम्बर 5/4 थे जिनकी तरमीम तकासमा करने के बाद वर्तमान खसरा नम्बर 641/5 दर्ज किये गये है। अप्रार्थी संख्या 01 के अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा की गई उक्त गलत तरमीम के आधार पर प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार बेजा मजाहमत करते है तथा सीमाओं को लेकर भविष्य में विवाद हो सकता है। क्योंकि प्रार्थीगण का कब्जा खसरा नम्बर 641/5 की भूमि पर चर्तुभुज आकार में है प्रार्थीगण की भूमि के पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 646/5 की भूमि है तथा उत्तर दिशा की तरफ 644/5 की भूमि है इसी अनुसार नक्शे में तरमीम किया जाना चाहिए था लेकनि राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके पर भूमि में की गई तार बाउन्ड्री के विपरित गलत तरमीम करते हुये प्रार्थीगण के खेत को उत्तर से दक्षिण दिशा

…खण्ड अधिकारी

की तरफ लम्बा करते हुये कीरतपुरा से हरवंशपुरा की सीमा की तरफ लम्बी गलत तरमीम
कर दी है प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 641/5 में से से रोड निकल रही है जिसको
नक्शे में नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार राजस्व कारकानूनगों द्वारा मौका स्थिति व
कब्जे के विपरीत जाकर नक्शे में तरमीम कर दी गई जिससे काश्तकारों में विवाद हो
रहा है ओर गलत तरमीम के आधार पर भविष्य में बिना किसी कारण के पडोसी
काश्तकारों मे वाद–विवाद उत्पन्न होगा जिससे उक्त गलत तरमीम को दुरूस्त किया
जाकर मौके पर प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार सही तरमीम किया जाना न्यायोचित है।
प्रार्थीगण की भूमि की गलत तरमीम को दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना दिनांक
02/7/24 को अप्रार्थी के समक्ष पेश किया गया जिन्होने न्यायालय में कार्यवाही करने
के लिए कहा जिससे उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् तरमीम दुरूस्ती मान्य न्यायालय के समक्ष
प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी की नक्शा ट्रेस में हुई
गलत तरमीम के आधार पर अन्य काश्तकार को किसी प्रकार के अधिकार उत्पन्न नही
होते हैं। जबकि प्रार्थीगण उक्त गलत तरमीम को दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।
विवादित आराजीयात एवं पक्षकारान् का निवास स्थान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार
में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र कि सुनवाई व निस्तारण का श्रीमान न्यायालय को
क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। वकील श्री नेतराम चौधरी ने अप्रार्थीगण सं. 19, 20 की तरफ से वकालतनामा पेश किया तथा जवाब नहीं देकर सीधी बहस करने का निवेदन किया व जवाब बन्द किया गया। वकील श्री बलविन्द्र सिंह चौधरी ने अप्रार्थी सं. 21 की तरफ से वकालतनामा पेश किया तथा जवाब नहीं देकर सीधी बहस करने का निवेदन किया तथा जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी सं0 19, 20, 21 ने मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के तरमीम दुरूस्त किये जाने पर अनापत्ति प्रकट की। अप्रार्थी सं. 11, 12, 13 तथा 23, 24 ने जवाब पेश किया तथा तरमीम दुरूस्त किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की। अप्रार्थी सं. 02 लगायत 10 तथा 14 लगायत 18 व 22 की सम्यक तामिल होने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इसलिए अप्रार्थी सं. 02 लगायत 10 तथा 14 लगायत 18 व 22 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

अप्रार्थी सं0 1 पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। तथा अपने जवाब में बताया कि उक्त वर्णित तथ्य में प्रार्थी के द्वारा बताया कि वर्तमान डीआईएलआरएमपी नक्शे के खसरा नं. 641/5 रकबा 3.7935 हैक्टेयर की तरमीम सही नहीं है। उक्त खसरा नं. की हल्का पटवारी के पास कपडा लट्टा नक्शे में तरमीम नहीं है। उक्त खसरों का मूल नं. खसरा नं. 5 रकबा 94 बीघा 18 बिस्वा था जिसके 9 टुकडे हुए। जिसमें खातेदारी देते समय में नामान्तकरण पस्त पटवार में भी कोई नक्शा कब्जा नजरी नक्शा नहीं दर्शाया गया है। जिसकी नामान्तकरण पस्त संलग्न है। वर्तमान में डीआईएलआरएमपी योजना के तहत बने हुए नक्शें में प्रार्थी की कब्जे अनुसार तरमीम दुरस्त आदेश होते है तो उक्त खसरा नं. के लगवा स्थित खसरा नं. 644/5, 645/5 व 641/5 प्रभावित होते है। उक्त प्रकरण कम मे निवेदन है कि उक्त प्रभावित खसरा नं. के काश्ताकारों को सुना जाने के पश्चात ही तरमीम दुरूस्त की जा सकती है।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी

बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076 – 2079 वाके ग्राम कीरतपुरा के खाता सं0 172 में प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार फागी की रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 641/5 रकबा 3.7935 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम कीरतपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान मे स्थित आराजीयात की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर मुताबिक पैरोकार सरकार की रिपोर्ट दिनांक 12.08.2025 के अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को सरे इजलास सुनाया जाता है

31/X/25

(राकेश कुमार ॥)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी

सत्यमेव जयते